

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

आसूराम

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 346/2015

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुक्म
की तामील
में जारी हुए


09.07.215

वकील वादी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 329 कुल किता 01 कुल रकबा 15-07 बीघा में आसू पुत्र लाबू दर्ज हैं। वास्तविक नाम आसूराम पुत्र लादूराम हैं। सबूत में वादी मूलाराम के पहचान-पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां पेश की हैं। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 329 कुल किता 01 कुल रकबा 15-07 में वादी का नाम आसू पुत्र लाबू दर्ज हैं जबकि सबूत के आधार पर आसूराम पुत्र लादूराम बखूबी साबित हैं। वाद के समर्थन में पहचान-पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। इंगिया पुत्र भंवरु के स्थान पर आसूराम पुत्र लादूराम को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

अतः डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 329 कुल किता 01 कुल रकबा 15-07 भूमि में आसू पुत्र लाबू के स्थान पर आसूराम पुत्र लादूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।


SDO

डिक्री बगुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

त :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

स :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

न :- बनाम प्रतिवादी :-

आसूराग पुत्र लादूराग
जाति गुर्जर
निवासी-चावण्डियाकलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

तहसीलदार

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 346/2015

विषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिराल कतई रुबरु-..... व हाजरी स्वयं वादी गिनजागिब मुद्धई व प्रतिवादी गिनजागिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 329 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 15-07 भूमि में आसू पुत्र लाबू के स्थान पर आसूराग पुत्र लादूराग को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना गंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें गय रूद व शहर-.....फीस रादी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा

केन्द्र चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।



2/2
उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण
(जिला-पाली)

रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		महनतावा वकील		
महनतावा वकील		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान		फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक		

गिजान:-

गिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।